लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ा नम्बर:–213/2018 प्रार्थना पत्र
क्ष्मीनारायण स्थान देह खातेदार जरिये पुजारी राधेश्याम पिता कंवरलाल पाराशर, उम्र बालिग
ी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थी

बनाम

ति कोयली पत्नि ऊंकार गाडरी, उम्र बालिग निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ति सायरी पत्नि काना गाडरी, उम्र बालिग निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
नारायण पिता काना गाडरी, उम्र बालिग निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी पुत्री काना गाडरी, उम्र नाबालिग बबिलायत माता सायरी पत्नि काना गाडरी, उम्र बालिग
ासी श्रीनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ातिसोहनी पत्नि शंकर माली, उम्र बालिग निवासी कोटा रोड़ यश बिहार के पास, भीलवाड़ा
सील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
हीरा पिता रामा गाडरी, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लादू पिता रामा गाडरी, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लक्ष्मण पिता लादू कीर, उम्र बालिग निवासी पुरावतों का आकोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
हीरा पिता प्रताप गाडरी, उम्र बालिग निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–25.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोदूकोटा पटवार कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 211, 212, 213, 231, 233, ुल किता 6 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी को अपने खाते व काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के त्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 8.8.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन गण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली गये । विपक्षी संख्या 5 की ओर से अधिकार पत्र श्री बी.एल.वैष्णव, एडवोकेट ने दिनांक 31.1.2018 स्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किये गये। जवाब आयन्दा देना चाहते हैं। विपक्षी संख्या 1 से व 6 से 10 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 4 व 6 से 10 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् े दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 31.1.2018 को एक तरफा ाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 5 द्वारा दिनांक 31.1.2018 से आज क तक बराबर अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण विपक्षी संख्या 5 िनांक 6.2.2019 को जवाब बंद किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 211, 212, 213, 231, 233, 234 कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि ना जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के भू-अभिलेख निरीक्षक, भीलवाड़ा को 1000/-रूपये (एक हजारे रूपये) कमिश्नर फीस पर र नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने काश्तकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये दार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा